



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या 1160 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2018-5-काविनी/16(टी०सी०-3) दिनांक 26 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- सातवें वेतन आयोग (दि० 01.01.2016 से लागू) की पुनरीक्षित वेतन संरचना में मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

सातवें वेतन आयोग में (दि० 01.01.2016 से लागू) पुनरीक्षित वेतन संरचना में संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सन्दर्भ में वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 3/2018/जी-1-102-दस-2018-226-2008 दिनांक 18.07.2018 को अंगीकृत करते हुए कारपोरेशन की अपनी पुनरीक्षित वेतन संरचना में एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा केस्को के कार्मिकों को दिनांक 01.07.2018 से निम्न तालिका के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	वेतन मैट्रिक्स लेवल	श्रेणी-अ के नगरों में	श्रेणी-ब के नगरों में	श्रेणी-स (अवर्गीकृत) के नगरों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	1	2320	1160	770	
2.	2	2400	1200	800	
3.	3	2440	1220	810	
4.	4	3000	1500	1000	
5.	5	3400	1700	1130	
6.	6	4040	2020	1340	
7.	7	5520	2760	1840	
8.	8	5620	2810	1870	
9.	9*	ग्रेड-वेतन रू० 5400	6300	3150	2100
		ग्रेड-वेतन रू० 6600	7560	3780	2520
10.	10	6300	3150	2100	
11.	11	7560	3780	2520	
12.	12	13820	6910	4600	
13.	13	14560	7280	4860	
14.	14	16400	8200	5460	
15.	15	17400	8700	5730	

* ऐसे कार्मिक, जिन्हें पूर्व में वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800 में ग्रेड-वेतन रू० 6600/- की अनुमन्यता के आधार पर मकान किराया भत्ता आहरित हो रहा था, उन्हें इसी ग्रेड-वेतन के आधार पर उपरोक्त संशोधित दरों से मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता होगी।

श्रेणी-अ, ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगरों / क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
ब	श्रेणी-‘अ’ के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चन्दौसी, देवबन्द, रुड़की, कैराना, बड़ौत, भवाना, पिलखुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, सिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टांडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहांगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकर्णनाथ, छिबरामऊ, काँच, मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकोट के शहरी क्षेत्र। लहरपुर, बिस्वाँ, महमूदाबाद, आँवला, सण्डीला, स्योहारा (बिजनौर), अतरौली, गुलावठी (बुलन्द शहर), सरघना, वृन्दावन, कोशीकली, टुण्डला, अयोध्या, गजरोला, काल्पी, तथा ग्रेटर नोएडा
स (अवर्गीकृत)	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

2. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवेल का तात्पर्य पूर्व वेतन-बैंड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड-वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवेल से है।
3. मकान किराया भत्ता अनुमन्यता के सन्दर्भ में पूर्व से लागू शर्तें एवं अन्य प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं० 1160-(1)-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/18 तद्दिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।

(क्रमशः..... 3)

- 15- अनु सचिव (सचि0प्रशा0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से दिनांक 26.10.2018 को पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)

